महिलाओं के कानूनी अधिकार

*न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

प्राचीनकाल में नारी के सम्बन्ध में धारणा थी कि **''यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता''** लेकिन पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण धीरे–धीरे नारी की स्थिति बदलती गई और बदलते–बदलते आधुनिक काल में ऐसी हो गयी, जिसके लिए राष्ट्र कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने कहा कि–

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।।

21वीं शदी की नारी कानून की दृष्टि में अब अबला नहीं सबला है। पुरूष जगत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हुआ कि नारी भी विश्व जीवन का उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है जितना कि पुरूष, वह पुरूष की वासना–तृप्ति का एक साधन मात्र नहीं है बल्कि वह जननी, सहचारी एवं मार्गदर्शिका भी है।

हमारा संविधान सभी नागरिकों के साथ–साथ महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करता है। सविधान निहित रूप से उम्मीद रखता है कि सरकार सभी कमजोर वर्गों जिसमें महिलाएं शामिल है, की स्थिति सुधारने के लिये विशेष प्रयत्न करेगी । सरकार ने अलग–अलग अधिनियमों द्वारा महिलाओं से संबंधित कानून बनाये गये है। समय–समय पर इनमें संशोधन भी हुए है।

विभिन्न विद्धानों, लेखकों द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों, अधिनियमों की कई किताबे मय सटीक टिप्पणी के साथ बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा बेयर एक्ट का भी प्रकाशन हो रहा है। फिर भी ऐसा मानना है कि महिलाऐं ज्यादातर अपने विविध अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ है। यह मेरा विनम्र प्रयास है कि कुछ संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त व खास–खास बातों की जानकारी से साक्षरता का प्रसार, जागरूकता के

साथ–साथ महिलाओं को अपने कर्तव्यों व अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। जिससे महिलाओं के संरक्षण के साथ उत्पीड़न में कमी आए व मानवाधिकार हनन को रोकने में मदद मिले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी अन्य लघु पुस्तिकाओं के प्रकाशन की कड़ी में ''महिलाओं के कानूनी अधिकार'' की लघु पुस्तिका जनहित में प्रेषित कर रहा है। जिसमें निम्न अधिनियमों का संक्षिप्त उल्लेख है।

1. भारतीय संविधान
2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
5. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
7. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956
8. हिन्दू अप्राप्तव्यता और सरंक्षकता अधिनियम, 1956
9. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
10. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
11. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
12. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988
13. प्रसूति सुविधाएं (प्रसूति सुविधा अधिनिमय, 1961)
14. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
15. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
16. सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005
17. The Inter-State Migrant Workmen (Reglation of Emplyment and Condition of Service) Act 1979 (2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
18. The pre-conception and pre-natal Diagnostic techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.
19. The Immoral Traffic (Precention) Act, 1956– औरतों को बेचान से रोकने का प्रावधान, 1956 (धारा– 2, 3, 5, 7, 8)

स्वतंत्र भारत के संविधान में लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की बात कही गई है और नारी को उसके विकास के सभी अवसर दिये गये है। महिलाऐं घर का काम तो करती ही हैं अक्सर घर के बाहर भी रोजी–रोटी कमाने के लिए काम करती है। सार्वजनिक नौकरियों में समान वेतन व मजदूरी का अधिकार है

1. **भारतीय संविधान**– अनुच्छेद **14**– किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद **15(1)**– राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद **15(3)**– राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी । अनुच्छेद **16(2)**– राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म , मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद **21(क)**– राज्य छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करें, उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद **23(1)**– मानव दुर्व्याहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लघंन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। अनुच्छेद **24**– चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद **39(क)**– पुरूष और स्त्री जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद **39(घ)**– पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। अनुच्छेद **39(ड.)**– पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालाकों की सकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु याशक्ति के अनूकूल न हों। अनुच्छेद **42**– राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं

को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद **51क**– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है। अनुच्छेद **325**– धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। अनुच्छेद **326**– लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे जो कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है। अनुच्छेद **32, 132, 133, 134, 136, व 226**– के अन्तर्गत मूल अधिकारों व अन्य अधिकारों के उल्लघंन की स्थिति में स्त्रियों या पुरूषों को समान रूप से याचिका उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में दायर करने का अधिकार है।

2. **भारतीय दण्ड संहिता, 1860**– धारा– **52क, 212, 216** जहां किसी व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा ''सश्रय'' (Harbour) दिया जाता है तो धारा **130, 157** के सिवाय आश्रय अपराध की परिधी में नहीं आयेगा । धारा **82** कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा **97** अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की अथवा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा– **292, 293, 294**– अश्लील पुस्तकों का विक्रय अश्लील कार्य और गाने को अपराध बनाया गया है। धारा **304बी**– दहेज मृत्यु आजीवन कारावास तक दण्डनीय अपराध है। धारा **312, 313, 314**– गर्भपातकारिता कराना अपराध है। धारा **354**– स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना करावास से दण्डनीय अपराध है। धारा **361**– में अठारह वर्ष से कम आयु की नारी और धारा **362**– में बल प्रयोग द्वारा किसी स्थान से ले जाना अपहरण का अपराध है। धारा **366**– विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहरण करना, धारा **366A**– अप्राप्तव्य लड़की को संभोग करने के आशय से ले जाना, धारा **366B**– विदेश से लड़की का आयात करना, धारा **372, 373**– वेश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना व खरीदना अपराध है। धारा **375, 376,**

376A to D– के अन्तर्गत बलात्संग के लिए न्यूनतम दण्ड 7 वर्ष व 10 वर्ष और आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय बनाया है मैथुन भी 5 वर्ष का कारावास एवं दण्डनीय अपराध है और यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है तो पति भी दो वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जाएगा, धारा **493**– में प्रवचना से सहवास दण्डनीय है। धारा **494**– वैधविवाह के दौरान पुनः विवाह करना दण्डनीय होगा। धारा **497**– जारकर्म में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी धारा **498**– विवाहिता स्त्री को फुसलाकर ले जाना या निरूष करना, धारा **498A**– स्त्री के साथ क्रूरता करना धारा **509**– शब्द, अंग विशेष से स्त्री का अनादर करना ।

3. **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973**– धारा **47**– किसी स्थान की तलाशी के समय ऐसी स्त्री हो जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो वहां से हट जाने के लिए पुलिस अधिकारी उचित सुविधा देगा। धारा **51**– जब किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी । धारा **53(2)**– किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। धारा **125** से **128**– में पत्नी, संतान और माता–पिता के भरण –पोषण के प्रावधान है। यह पत्नी, बच्चों के अलावा बूढ़े मां–बाप को भी प्राप्त हो सकता है, जो अपनी संतान (लड़का–लड़की) में से किसी से भी चाहे वह शादी–शुदा हो, प्राप्त कर सकता है। धारा **160**– साक्षियों की हाजिरी के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्त्री को उसके निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। धारा **164A**– बलात्संग की शिकार हुए महिला की शारीरिक परीक्षा के प्रावधान में भी अभी संशोधन किये गये है। धारा **198**– विवाह के विरूद्ध अपराधों के लिए अभियोजन हेतु विशेष प्रावधान किये हैं। धारा **416**– यदि वह स्त्री, जिसे मृत्यु दण्डादेश दिया गया हैं एवं गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दण्डादेश का निष्पादन मुल्तवी (Postponed) किए जाने के लिए आदेश देगा और यदि ठीक समझे तो दण्डादेश को आजीवन

कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा। धारा **437**– के अन्तर्गत अजमानतीय अपराध की दशा में भी स्त्री जमानत पर छोड़ दिये जाने के विशेष प्रावधान है।

4. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** धारा **112**– विवाहिता स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। धारा– **113** क, किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्पेरक के बारे में उपधारणा, धारा **113ख**– दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, धारा **114क**– बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की अवधारणा । धारा **122**– विवहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश न किया जाना।

5. **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** धारा **56**– न्यायालय द्वारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों को गिरप्तार करने और सिविल कारागार में निरूद्ध करने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है। धारा **60**– के अनुसार भरण–पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का दो–तिहाई भाग की कुर्की की जा सकता है। निर्णित ऋणी की पत्नी के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती है उसकी कुर्की नहीं होगी। आदेश **21** नियम **32, 33**– के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री की पालना यदि पति द्वारा नहीं की गई है तो उसे सिविल कारागार में निरोध किया जा सकता है परन्तु पत्नी को निरोध नहीं किया जा सकता है।

6. **हिन्दू विवाह अधिनिमय 1955** धारा **1(2)**– विदेश में रहने वाले हिन्दुओं पर भी यह विधि लागू है। धारा **5**– में विवाह के लिए शर्ते है। धारा **7**– के अनुसार विवाह के लिए अग्नि के समक्ष सप्तपदी पूरा करना आवश्यक है। धारा **9**– में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन धारा **10**– में न्यायिक पृथक्करण और धारा **11, 12**– में शून्य व शून्यकरणीय विवाह है। धारा **13 (1)**– में तलाक के विभिन्न आधार है धारा **13(2)**– में केवल पत्नी के लिए तलाक के चार विशेष आधार है। धारा **13बी**– पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह–विच्छेद के प्रावधान है। धारा **17**– में द्वि विवाह के लिए

दण्ड है। धारा **22**– कार्यवाहियों का बन्द कमरे में होना और उसका मुद्रण या प्रकाशन न किया जाना, धारा **24**– वादकालीन भरण–पोषण और कार्यवाहियों के व्यय, धारा **25**– मे स्थायी निर्वाह– व्यय और भरण–पोषण के प्रावधान है।

हिन्दू चाहे वे किसी जाति या सम्प्रदाय के हों, बोद्ध, जैन या सिक्ख। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना मूल धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म अपनाया हो, लेकिन अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

हिन्दू विवाह के लिये वर कन्या दोनों का हिन्दू होना जरूरी है, वर और कन्या दोनों की पहले शादी नहीं हुई होना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी या वधु का जीवित पति नहीं होना चाहिये। वर की उम्र 21 वर्ष और कन्या की 18 वर्ष होना चाहिये। इससे कम आयु के वर या वधु का विवाह करना कानूनी अपराध है। किन्तु, ऐसा विवाह वैध माना जायेगा। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

कानून कहता है कि पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है, ऐसे पति को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसी दूसरी शादी कानून में वैध नहीं मानी जाती। पत्नी की सहमति से की गई दूसरी शादी भी गैर–कानूनी है। दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा मांगने का कोई हक होगा, न ही पति की संपत्ति में कोई अधिकार मिलेगा। हां, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी स्त्री से छिपाई गई हो, तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है। वह पति से मुआवजा लेने क लिये भी मुकदमा कर सकती है। ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चे को पिता की सम्पति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते है।

7. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 धारा **8**– हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य धारा **9**– दत्तक देने के

लिये सक्षम व्यक्ति धारा **10**– व्यक्ति जो दत्तक लिये जा सकते है। धारा **11**– यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना हैं और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरूष है तो दत्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो। धारा **18**– में पत्नी को भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। धारा **19, 20**– में विधवा पुत्रवधू, अपत्यों और वृद्धजनों का भरण–पोषण। धारा **23**– में भरण–पोषण की रकम का अवधारण है।

जायज और नाजायज नाबालिग (18 साल से कम उम्र के) बच्चों को माता–पिता से खर्चा मिलने का हक है। बूढ़े या शारिरीक रूप से दुर्बल मां–बाप को अपने बच्चों से (बेटे हो बेटियां) खर्चा मिलने का हक है। यह खर्चा लेने का हक सिर्फ ऐसे लोगों हो है, जो अपनी कमाई या सम्पत्ति में से अपना खर्च नहीं चला सकते।

8. हिन्दू अप्राप्तव्यता और सरंक्षकता अधिनियम, 1956 धारा **6**– किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात् माता नैसर्गिक संरक्षक होगी परन्तु पांच वर्ष की आयु तक अभिरक्षा माता के हाथ में होगी । धारा **13**– के अनुसार न्यायालय द्वारा अप्राप्तव्य के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा।

बच्चों की अभिरक्षा कानून के तहत माता–पिता के जीवित न रहने पर या माता–पिता का तलाक हो जाने पर बच्चों का लालन–पालन किसके द्वारा होगा यह तय करने के लिए ''गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट'' के नाम से यह कानून बनाया गया है।

बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में हो, तो बच्चा मां को दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो तो भी पिता को उसका खर्चा–पानी देना होगा।

न्यायालय नाबालिग बच्चों के शरीर व उसकी संपति की सुरक्षा के सरंक्षक नियुक्त कर सकती है, जो न्यायालय के प्रति जवाबदेह रहता हैं।

9. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा **6**– मिताक्षरा विधि द्वारा शासित सयुंक्त हिन्दू परिवार में सहदायिक की पुत्री, पुत्र की तरह उसी रीति में जन्म से उसके अपने अधिकार में

सहदायिक होगी ओर सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार रखेगी जैसा वह पुत्र होती तो रखती ।

धारा **14**– हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी । धारा **15, 16**– हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार धारा **24**– निरसित कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप पुनर्विवाह करने वाली विधवा अपने श्वसुर से विरासत में सम्पत्ति प्राप्त कर सकेगी। अनूसूची के वर्ग 1 में चार नये वारिस जोड़ दिये गये है अतः वर्ग 1 से 16 वारिस है। जिसमें से 11 महिलायें है।

हर महिला को अपने लिये, अपने नाम से सम्पत्ति खरीदने और रखने का अधिकार के साथ–साथ सम्पत्ति जो उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो रख सकती है। महिलाओं को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदार की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है, यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है, वह कानून जो किसी समुदाय पर लागू होता है। जैसे हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून तथा पारसी कानून आदि ।

10. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार सरक्षंण) अधिनियम, 1986 के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कुछ सीमा तक रक्षा की गई हैं। एक्ट 1939 की धारा **2**– के अनुसार मुस्लिम पत्नी को पति से तलाक लेने का अधिकार है जिसके लिए (**1 से 9**) आधार है। मुस्लिम महिला के तलाक के बाद पति की सहमति से ही धारा **125**– दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है अन्यथा नहीं (धारा– **5**) लेकिन मुस्लिम महिला अपने उत्तराधिकारों से भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। यदि नातेदारों के पास भरण–पोषण के लिए साधन नहीं है तो उस क्षेत्र में स्थापित कार्यशील राज्य वक्फ बोर्ड से धारा **4**– के तहत भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।

11. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961– विवाह के लिए किसी शर्त

के रूप में नगद धन या वस्तु लिए जाने को साधारणतः दहेज कह सकते हैं ।

दहेज कानून में दहेज लेना व देना, सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है। दहेज लेने या देने के जुर्म में पांच साल तक की कैद व पंद्रह हजार रूपये जुर्माना तथा राशि पंद्रह हजार से ज्यादा होने पर दहेज की रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। लेकिन विवाह के समय स्वेच्छा एवं आर्थिक हैसियत के अनुसार वर या वधु को दी गई भेंट अपराध नहीं है। किन्तु दिये गये उपहारों की एक सूची बनानी होगी, जिस पर वर–वधु दोनों के हस्ताक्षर होंगे । दहेज से संबंधित अपराधों की शिकायत पुलिस अधिकारी, दहेज पीड़ित व्यक्ति या उसके माता–पिता, स्वैच्छिक संस्था, अदालत स्वयं कर सकती है?

दहेज से संबंधित अपराध में संज्ञेय है व पुलिस स्वयं तहकीकात कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है। पर किसी को **गिरफ्तार** करने के लिये मजिस्ट्रेट के आदेश जरूरी है। गैर जमानती है – यानि, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आरोपी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। अक्षमनीय है– यानि, कोई जुर्माना भरने पर अपराधी कैद की सजा से छूट नहीं सकता।

12. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988– में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। यह कि कोई पति अपनी पत्नी के नाम से सम्पति खरीदता है तो वह बेनामी संव्यवहार की श्रेणी में नहीं आयेगी और अविवाहित 15 वर्ष की पुत्री के सम्बन्ध में भी यही प्रावधान है।

13. प्रसूति सुविधाएं (प्रसूति सुविधा अधिनिमय, 1961)– किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कानूनन मिलने वाली सुविधा को प्रसूति प्रसुविधा कहा जाता है।

यह गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद, मातृत्व की शरूआत के महीनों में दी जाती है। प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी । प्रसूति के बाद पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी। किसी स्त्री को प्रसूति के छः हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता, स्त्री से प्रसूति के छः हफ्ते बाद तक काम लेना कानूनी अपराध है।

14. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971- (धारा– 2,3,4,5)– एम.टी.पी. एक्ट के अनुसार प्रिग्नेन्सी के समय प्रथम टाईमिस्टर (एक से बारह सप्ताह) की अवधि में एक प्रशिक्षित डॉक्टर, एवं द्वितीय टाईमिस्टर (बारह से बीस सप्ताह) की अवधि में दो प्रशिक्षित डॉक्टर्स का होना आवश्यक है। और किसी भी हालात में 20 सप्ताह से उपर का गर्भ समापन नहीं किया जा सकता। अन्यथा धारा **5**– एम.टी.पी. एक्ट का उल्लघंन माना जायेगा, जिस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

जब कानून के अनुसार गर्भ समापन तब किया जाये, जब– यदि बच्चे को रखने से मां के जीवन को खतरा है, मां के शारिरीक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है, गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा है, बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है, स्त्री–पुरूष द्वारा अपनाया गया परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो, स्त्री की अस्वस्थता या वातावरण को देखते हुए उसके स्वास्थ्य को खतरा हो।

15. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005– मुख्य प्रावधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को तत्संबंधित विधि में सजा मिल सके एवं इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा, और बच्चों के बारे में संरक्षण की सहायता मिल सके । अगर हिंसा की घटना हो चुकी है तो उसके लिए आर्थिक मुआवजा देने का भी प्रावधान है।

पीड़ित घरेलू महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन तथा अन्य सुख से रहने की इच्छा का हनन होता हो, मारपीट, भावनात्मक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना और नाजायज शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश, गाली या ताने देना भी परिभाषा में समावेश है। उसके किसी रिश्तेदार को उसके विरूद्ध करना भी उसमें शामिल है।

उत्पीड़ित महिला के लिए अधिनियम में कई व्यवस्थाएं अधिकारियों एवं न्यायालयों के माध्यम से दी गई हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर अन्तिरिम निषेधात्मक का भी प्रावधान है। मजिस्ट्रेट के

निर्णय के बाद सत्र न्यायाधीश में 30 दिन में अपील होती है। **(धारा– 2, 3, 5, 6, 12, 16, 17, 20, 31)** इन प्रावधानों का उचित उपयोग महिलाओं के हाथ में है और इनका अनुचित उपयोग होकर वह निर्दोष व्यक्तियों की उत्पीड़न का जरिया न बन जाये, इसकी भी खबरदारी लेने का उत्तरदायित्व भी महिलाओं पर ही है।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005– इस अधिनियम के मार्फत तथ्यों की, कार्यों की जानकारी हर नागरिक संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकता है। इस अधिकार के तहत नागरिक सरकार चलाने में सीधी भागीदारी पा सकेगा व राजकीय कार्य में पारदर्शिता मिलेगी । सूचना का अधिकार 11/5/2005 को आया व इसके शेष उपबंध 120 दिन बाद प्रभावी होगें। राजस्थान सूचना के अधिकार का परिपत्र क्रमांक : प. 9(23) गृह– 5/2005 दिनांक 3/10/2005.

धारा **3**– सभी नागरिकों के पास सूचना का अधिकार होगा। धारा **4(3)**– प्रत्येक सूचना व्यापक रूप से और ऐसे प्रारूप तथा तरीके में प्रचारित की जायेगी जो सरलता से जनता तक पहुंच सके । धारा **5 (1)**– इस धारा के अनुसार प्रत्येक विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाएगें जो सूचना उपलब्ध कराएगें। धारा **6(2)**– सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन से सूचना का अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने या कोई अन्य व्यक्तिगत वर्णन देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी। धारा **7 (1)**– लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की प्राप्ति पर यथा संभव शीघ्र और 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करेगा। परन्तु जहां चाही गयी सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित हो, वहां 48 घण्टे के भीतर प्रदान किया जायेगा ।

17. The Inter-State Migrant Workmen (Reglation of Emplyment and Condition of Service) Act, 1979 (2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)– एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों का शोषण रोकने के लिये यह कानून बनाया गया हैं। इसके अनुसार जो भी ठेकेदार किसी दूसरे प्रदेश से पांच या उससे अधिक मजदूरों को भरती

करता है, उसके पास उस प्रदेश की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिये।

ठेकेदार की जिम्मेदारी की वह मजदूर को अपने निवास करने की जगह छोड़ने के लिए भता देना, निवास स्थान से आने–जाने का किराया देना, दुर्घटना या मृत्यु पर संबंधित सरकार को सूचना देना। मजदूरी देना (उस प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी), मकान, डॉक्टरी देखभाल, खाने–पीने, आने–जाने का खर्च, बालबाड़ी की सुविधा देना।

18. The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994– गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (धारा **2, 3, 4, 5, 6, 17, 22 से 28**)–

19. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956– औरतों को बेचान से रोकने का प्रावधान, 1956 (धारा 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18) रिट याचिका 301/2000 में सर्वोच्य न्यायलय ने उक्त अधिनियम को प्रभाव शाली तरीके से लागू करने के दिशा-निर्देश दिये है।

कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि मानवअधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदेही हो। सुशासन वह महत्वपूर्ण तथ्य है जो मानवा अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करता है। बेहतर समाज के लिए यह भी जरूरी है, मानव अधिकारों का संरक्षण हो। सरकार के साथ–साथ सभी नागरिक संवेदनशील रहते हुए एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर अपने कर्तव्यों का निष्टापूर्वक निर्वाह करें।

अन्त में, मैं महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचियत **''कामायनी''** की निम्न पक्तियां याद करते हुए कहता हूँ कि ये पक्तिंया याद रखनी होगी कि *''नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।''* तब निश्चय ही **''जुलू शब्दकोष''** में दी गई पुरूष की यह परिभाषा सार्थक सिद्ध हो सकेगी। ***''एक पशु जिसका प्रशिक्षण नारी करती है।''***

❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट। आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित)।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का संगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सिरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 8 6/2006

महिलाओं के कानूनी अधिकार

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

महिलाओं के कानूनी अधिकार

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.
*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.
8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।